

# मुण्डा शासन व्यवस्था

- झारखंड में राज्य निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभ मुण्डाओं के द्वारा किया गया था ।
- मुण्डाओं ने अपनी सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था को संचालित करने के शासन व्यवस्था की स्थापना की ।

## मुण्डा

पहला विचारधारा – ये लोग झारखंड में तिब्बत से आए  
दुसरा विचारधारा – झारखंड में मुण्डा लोग दक्षिण पश्चिम भारत से आए  
तीसरा विचारधारा – झारखंड में मुण्डा दक्षिण पूर्व से भारत आए

नोट – कहा जाता है कि रिसा मुण्डा नाम का व्यक्ति 22000 मुण्डाओं के साथ झारखंड आया था ।

- मुण्डा कोलेरियन समूह की एक जनजाति है जो प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटोऑस्ट्रेलॉयड समूह के अंतर्गत आते हैं ।
- मुण्डा अपने आप को 'होरो को' कहते हैं ।
- मुण्डाओं की भाषा मुण्डारी है जिसे वे होड़ो जगर कहते हैं । मुण्डारी भाषा आष्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है ।

- झारखंड में मुण्डा जनजाति संथाल एंव उरांव के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की जनजातीय आबादी का लगभग 14.5 प्रतिशत आबादी मुण्डा जानजाति की है।

### मुण्डा शासन व्यवस्था की संरचना

- रिसा/रिता मुण्डा ने मुण्डाओं के सामाजिक एंव धार्मिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए राज्य का निर्माण किया।
- सुतिया पाहन को राजा बनाया गया और राजा के नाम पर राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा गया।



नोट – पट्टा पंचायत का पड़हा में विलय के पश्चात शासन व्यवस्था तीन स्तरीय हो गई।

- पड़हा – 12 से 20 गांव को मिलाकर
- राज – 22 पट्टा को मिलाकर एक राज

## राज

- 22 पड़हा को मिलाकर एक राज
- राज का प्रमुख – राजा/सरदार
- सर्वोच्च अपीलीय संस्था

## पड़हा

- 12 से 20 गांव मिलाकर एक पड़हा
- पड़हा का प्रमुख – पड़हा राजा या मानकी
- पड़हा राजा का पद निर्वाचित (गणतंत्र)
- ठाकुर, दीवान, दरोगा, बरकंदाज, लाल, पाण्डेय

## गांव

- शासन व्यवस्था की केन्द्रीय इकाई
- गांव का प्रमुख – मुण्डा
- मुण्डा का सहायक पाहन और पाहन का सहायक महतो
- पुजारी पाहन, पुरोहित, घटवार, चवार, डोलाइत, पान खवास

## ग्राम स्तर के पदाधिकारी

- गांव का प्रधान मुण्डा
- मुण्डा का सहायक – पाहन
- सुचना वाहक – महतो
- शुद्धीकरण करने वाला – पुरोहित
- दण्ड की सामाग्री बांटने वाला – घटवार
- पैर हाथ धुलाने वाला – चवार डोलाइत
- पान–बीड़ी चलाने वाला – पान खवास

नोट – मुण्डा शासन व्यवस्था में सभा स्थल को अखरा कहा जाता है ।

## पड़हा स्तर

- पड़हा का प्रमुख – पड़हा राजा / मानकी
- ठाकुर – पड़हा राजा का सहायक / दुसरा सर्वोच्च पद
- दीवान – राजा के आदेश पर काम करने वाला मंत्री
  1. गढ़ दीवान – भीतरी मामलों के लिए
  2. राज दीवान – बाहरी मामलों के लिए

- बरकंदाज – गांव में नोटिस पंहुचाना
- दारोगा – सभा के नियंत्रित करना , जांच करना
- पाण्डेय – कागज पत्र रखने की जिम्मेदारी

राजा के आदेश पर नोटिस जारी करता है ।

- लाल – वकिल के समान/सभा में बहस व जिरह करना
- अन्य पद – कर्ता , कुंवर

**राज** – सर्वोच्च न्यायीक संस्था

